पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

**प्रकरण सं0 : 186/2020**

**1.** रामअवतार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी मौजाना त0 भादरा।

**:– वादी**

**ब ना म**

1. रामकुमार पुत्र सिंगाराम जाति कुम्हार निवासी मौजाना त0 भादरा।
2. भतेरी
3. सुशीला
   शर्मिला } पुत्रियान रामकुमार जाति कुम्हार निवासी मौजाना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

**:– प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजाना के खाता सं0 34/33 के खसरा सं0 10 की 2.5800है0, खसरा सं0 36 की 1.6700है0, खसरा सं0 44 की 0.4300है, खसरा सं0 107 की 2.2250है0 कुल 6.9050 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामअवतार व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा)

Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 186/2020**

1. रामअवतार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी मौजाना त0 भादरा।

:— **वादी**

**ब ना म**

1. रामकुमार पुत्र सिंगाराम जाति कुम्हार निवासी मौजाना त0 भादरा।
2. भतेरी
3. सुशीला — पुत्रियान रामकुमार जाति कुम्हार निवासी मौजाना त0 भादरा।
4. शर्मिला
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री नरेन्द्र शर्मा **: वादी**
वकील श्री राममुर्ति ताखर **: प्रतिवादीगण**

**दिनांक :** 18/03/2021

## निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजाना के खाता सं0 34/33 के खसरा सं0 10 की 2.5800है0, खसरा सं0 36 की 1.6700है0, खसरा सं0 44 की 0.4300है, खसरा सं0 107 की 2.2250है0 कुल 6.9050 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता सिंगाराम की खातेदारी हुआ करती थी। सिंगाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहांजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उप[illegible] प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रति[illegible] सं 5 स्टेट को वकील [illegible] पर तनकी वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी [illegible] गया। की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:59 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रामअवतार पुत्र र[illegible]कुमार जाति कुम्हार निवासी मौजाना के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रोही मोजाना संवत 2073–76 प्रदर्श 1, शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मोजाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 शपथ पत्र में रामकुमार के एक पुत्र रामअवतार व तीन पुत्री भतेरी, सुशीला, शर्मिला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजाना के खाता सं0 34/33 के खसरा सं0 10 की 2.5800है0, खसरा सं0 36 की 1.6700है0, खसरा सं0 44 की 0.4300है, खसरा सं0 107 की 2.2250है0 कुल 6.9050 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

## क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजाना के खाता सं0 34/33 के खसरा सं0 10 की 2.5800है0, खसरा सं0 36 की 1.6700है0, खसरा सं0 44 की 0.4300है, खसरा सं0 107 की 2.2250है0 कुल 6.9050 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामअवतार व प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2021 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:59 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner